

SHRI PITAMBER DAS : You will excuse me. My difficulty is that I have not read the Treaty. If Mr. Bhupesh Gupta has advance copy of it, then I have nothing to say. But I have no knowledge of its contents.

SHRI BHUPESH GUPTA : The Prime Minister called the meeting and told us about it. That should be enough.

श्री राजनारायण : श्रीमन्, संसदीय प्रथा में श्री भूपेश गुप्त का यह अधिकार सुरक्षित रहता है और भूपेश जी को यह निवेदन करने का पूरा हक है। उन्होंने जो अपना प्वाइंट रखा उससे सदन में एक हलचल मच गयी वह उचित नहीं था।

श्री उपसभापति : ठीक है, आप बैठिये।

श्री राजनारायण : मगर भूपेश गुप्त से ज्यादा हमारा हक हो जाता है यह पूछने का कि भारत की सरकार जब रूस के साथ किसी भी समझौते में गयी तो उससे पहले बंगला देश की मान्यता का सवाल क्यों नहीं आया ? इसका जवाब मैं चाहता हूँ।

श्री उपसभापति : प्लीज सिट डाउन। भूपेश गुप्त ने चेयर के बारे में, जो उन्होंने वर्ड्स यूज किये उसके बारे में मदन के दो, चार सदस्यों ने कहा है कि वह शब्द चेयर के लिए अच्छे नहीं हैं और उनको एक्सपंज करना चाहिए। तो वह आब्जरवेशन्स एक्सपंज कर दिये जायेंगे।

SHRI CHANDRA SHEKHAR : Whatever Mr. Bhupesh Gupta has said should be automatically expunged. There is no question about it. That is the clear understanding.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Calling Attention.

श्री राजनारायण : भूपेश जी ने जो असंसदीय बात कही हो, निकाल दी जाय। I cannot give this right to anybody.

## ANNOUNCEMENT RE ARREST OF THREE MEMBERS OF RAJYA SABHA

MR. DEPUTY CHAIRMAN : I am just making one announcement. I have to inform Members that I have received the following telegram dated the 7th August, 1971, from the Sub-Divisional Magistrate, Chanakvapuri, New Delhi :—

“S/Shri Mansingh Varma (U. P.) and Rattan Lal Jain (Punjab) MPs Rajya Sabha have been arrested in case FIR No. 273 dt. 7.8.71 U/s 147/149/353/332 IPC Police Station Chanakvapuri New Delhi and sent to judicial custody till 10.8.71 on their failure to furnish personal bond of Rupees 1,000/- each with a surety of like amount today letter follows”.

I have also to inform Members that I have received the following letter dated the 8th August, 1971, from the Sub-Divisional Magistrate, Kotwali, Delhi :—

“I have the honour to inform you that I have found it my duty, in exercise of my powers under section 65 of the Criminal Procedure Code to direct that Dr. Bhai Mahavir, Member of Rajya Sabha, be arrested for contravening the orders promulgated u/s 144 Cr. P. C. by the Additional District Magistrate, Delhi, in the area of Chandni Chowk, Delhi, for a period of two months w.e.f. 26th day of July, 1971.

Dr. Bhai Mahavir was accordingly arrested at 2.45 p.m. on 8th day of August, 1971 and is at present in the judicial custody at Central Jail, Tihar, Delhi.”

श्री राजनारायण (उत्तर प्रदेश) : श्रीमन्, इसमें मैं एक व्यवस्था जानना चाहता हूँ।

SHRI SUNDAR SINGH BHANDARI (Rajasthan) : Sir, I have an objection to the information received by you. उन्होंने सेक्शंस लगाये हैं तो मैं चाहूंगा कि सरकार के द्वारा इस बान की छानबीन हो। क्योंकि जो अखबारों में रिपोर्ट हुई है उसमें वहां पर जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट श्री पी० सी० चौहान आन ड्यूटी थे उनका एक इनवर्टेड

[Shri Sundar Singh Bhandari]

कामाज् में कोटेड स्टेटमेंट छपा है जिसमें यह कहा है : "I did not declare the assembly unlawful. Neither did I order the teargas".

इस स्टेटमेंट के आधार पर यह जो इन्फार्मेशन आप को भेजी गई है वह इसमें से सही साबित नहीं होती। मैं चाहता हूँ कि पार्लियामेंटरी अफेयर्स के मिनिस्टर इस बात की जांच करे।

SHRI ARJUN ARORA (Uttar Pradesh) :  
On a point of order, Sir. The whole matter is *sub judice*. We cannot discuss it.

श्री उपसभापति : श्री भंडारी जी, एक मिनट। आपने यह जो कहा है, अखबार में सही है या क्या है लेकिन अगर यह सही है और सही भी होगा तो इसके बारे में अफेस होता है या नहीं, वह सब तो कोर्ट में जायगा।

श्री सुन्दर सिंह भंडारी : जो इन्फार्मेशन गलत है उसको करेक्ट तो किया जाय।

श्री राजनारायण : श्रीमन्, एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैं यह जानना चाहता हूँ...

श्री उपसभापति : आप बैठिये, एक मिनट ठहरिये। जैसा कि भंडारी जी ने कहा....

श्री राजनारायण : उनके सवाल का जवाब बाद में दीजियेगा।

श्री उपसभापति : उनके सवाल का जवाब पहले दे दू।

श्री राजनारायण : हमको सुन कर दीजिये। मैं यह जानना चाहता हूँ कि मैजिस्ट्रेट साहब को नियम के अनुसार अरेस्ट की सूचना आपको देनी होती है और उसमें उनको बताना पड़ेगा कि ग्राउण्ड आफ अरेस्ट क्या है। तो मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या उन्होंने सूचित किया है कि

श्री मानसिंह वर्मा और दूसरे सम्मानित सदस्य पर 147 और 149 की दफा कैसे लगी क्योंकि अब तक तो 188 लगती थी, इसमें 147 कैसे लग गई।

श्री अर्जुन अरोड़ा : इन्होंने कुछ किया होगा!

श्री राजनारायण : कुछ नहीं किया।

श्री उपसभापति : इस मामले पर विचार नहीं हो रहा है।

श्री राजनारायण : इस सदन के सम्मानित सदस्य हैं। मैं चाहता हूँ कि इस पर आप इन्क्वायरी करें कि श्री मानसिंह वर्मा और दूसरे सम्मानित सदस्य के ऊपर 147 और 149 दफा क्यों लगी।

श्री उपसभापति : आप बैठिये। भंडारी जी ने यह कहा है कि 147 का अफेस हुआ या नहीं। They have only been arrested on the charges made by the administration. Whether they have been wrongly arrested or prosecuted, I think this can be raised in a court of law.

श्री राजनारायण : हमको घर से पकड़ लिया जाय और 147 दफा लगा देगे।

SHRI SUNDAR SINGH BHANDARI : I wanted to bring that one fact to your notice and through you I am asking for an enquiry into this.

श्री अर्जुन अरोड़ा : साहब, यह इस सदन का दुरुपयोग हो रहा है। समय का दुरुपयोग हो रहा है। यह डिफेंस कर रहे हैं जो कि अदालत में होना चाहिये।

श्री पीताम्बर दास (उत्तर प्रदेश) : क्या होता चाहिये, जरा हम भी मालूम कर लें ! अगर हाउस के अन्दर कोई मेम्बर गवर्नमेंट को यह सजेस्ट करता है कि अपना चालान वहां करने के पहले अलग अलग चीजें मालूम कर लीजिये

तो क्या यह सबजुडिस हो गया ?

I think I know more of law than Mr Arjun Arora does.

श्री अर्जुन आरोड़ा : आपकी वकालत चली नहीं बिल्कुल। यह बात मुझे मालूम है कि आप की वकालत चली नहीं।

श्री पीताम्बर दास : आपकी जानकारी मेरे बारे में मुझसे भी ज्यादा है।

### PAPERS LAID ON THE TABLE

- I. ANNUAL REPORT AND ACCOUNTS (1969-70) OF THE MACHINE TOOL CORPORATION OF INDIA LIMITED, AJMER AND RELATED PAPERS.
- II. ANNUAL REPORT AND ACCOUNTS (1969-70) OF THE BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, NEW DELHI AND RELATED PAPERS.
- III. ANNUAL REPORT AND ACCOUNTS (1969-70) OF THE HINDUSTAN MACHINE TOOLS LIMITED, BANGALORE AND RELATED PAPERS.
- IV. ANNUAL REPORT AND ACCOUNTS (1969-70) OF THE NATIONAL NEWSPRINT AND PAPER MILLS LIMITED, NEPANAGAR, MADHYA PRADESH AND RELATED PAPERS.

THE MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT/औद्योगिक विकास मंत्री (SHRI MOINUL HAQUE CHOUDHURY) : Sir, I beg to lay on the Table a copy each of the following papers (in English and Hindi), under sub-section (1) of section 619A of the Companies Act, 1956 :—

I. (i) Third Annual Report and Accounts of the Machine Tool Corporation of India Limited, Ajmer for the year 1969-70, together with the Auditor's Report on the Accounts and the Comments of the Comptroller and Auditor-General of India thereon.

(ii) Review by Government on the working of the Corporation. [Placed in Library. See No. LT-840/71 for (i) and (ii)]

II. (i) Sixth Annual Report and Accounts of the Bharat Heavy Electricals Limited, New Delhi, for the year 1969-70, together with the Auditors' Report on the Accounts and the Comments of the Comptroller and Auditor-General of India thereon.

(ii) Review by Government on the working of the Company. [Placed in Library. See No. LT-842/71 for (i) and (ii)]

III. (i) Seventeenth Annual Report and Accounts of the Hindustan Machine Tools Limited, Bangalore, for the year 1969-70, together with the Auditors' Report on the Accounts and the Comments of the Comptroller and Auditor-General of India thereon.

(ii) Review by Government on the working of the Company. [Placed in Library. See No. LT-838/71 for (i) and (ii)]

IV. (i) Annual Report and Accounts of the National Newsprint and Paper Mills Limited, Nepanagar, Madhya Pradesh, for the year 1969-70, together with the Auditors' Report on the Accounts and the Comments of the Comptroller and Auditor-General of India thereon.

(ii) Review by Government on the working of the Company. [Placed in Library. See No. LT-839/71 for (i) and (ii)]

### NOTIFICATIONS UNDER THE INDUSTRIAL (DEVELOPMENT AND REGULATION) ACT, 1951

SHRI MOINUL HAQUE CHOUDHURY : Sir, I also beg to lay on the Table a copy of the following Notifications (in English and Hindi) of the Ministry of Industrial Development and Internal Trade (Department of Industrial Development), under sub-section (2) of section 18A of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 :—

(i) Notification S. O. No. 1027, dated the 6th March, 1971.

(ii) Notification S. O. No. 1482, dated the 31st March, 1971. [Placed in Library. See No. LT-843/71 for (i) and (ii)]